"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2002—वैशाख 27, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-ए-4-7/2002/1/एक.—मा. न्यायाधिपति महोदय श्री के. एच. एन. कुरंगा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 19-3-2002 से 5-4-2002 तक 18 दिवस तक पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 6 से 7 अप्रैल, 2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इस विभाग का समसंख्यक पूर्व आदेश दिनांक 5-4-2002 निरस्त माना जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ. 9-27/गृह/2002.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के), लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्नस्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री चैतराम पाटिल	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री होल्कर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
	बस्तर-संभाग	
3.	श्री अर्जुन श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

टीप :— निम्नांकित परीक्षार्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है.

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न-पत्र (4)	स्तर (5)
		रायपुर-संभाग		
1.	श्री तुलारामपाल	राजस्व निरीक्षक	प्रथम	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्रमांक एफ 9-28/गृह/2002.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के), द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री टीकाराम कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री आज्ञामणी पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
3.	श्री राजबहादुर सिंह डण्डौतिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
4.	श्री महावीर राम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्रमांक एफ 9-38/गृह/2002.—कृषि विभाग के कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 1 फरवरी 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम (पुस्तक सहित), द्वितीय (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्नस्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री गौरीशंकर बेले	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2002

क्रमांक एफ-1/57/जेल/2001.—राज्य शासन प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप जेल कोरबा को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

Raipur, the 6th May 2002

No. F-1/57/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by Section 3 (i) read with Section 59 of the Prisons Act hereby upgrades Sub-Jail Korba and declares it equivalent to District Jail.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2002

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-5-2002 में क्र. 3 पर अंकित श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, रायपुर के स्थान पर श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, रायपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 1454/4299/जसं/2001.—श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता, (मानीटरिंग) जल संसाधन विभाग को दिनांक 29-4-2002 से 17-5-2002 तक (28-4-2002 प्रिफिक्स एवं 18-5-2002 एवं 19-5-2002 सफिक्स) 19 दिनों का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री सी. पी. चौधरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री सी. पी. चौधरी को अवकाश से लौटने पर पुनः मुख्य अभियंता, (मानीटरिंग) जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाश अवधि में श्री एस. के. भादुड़ी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अपने कार्य के अतिरिक्त श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता का कार्यभार संभालेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक 1609/डी-521/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्तागण को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गए पद पर महाधिवक्ता की अनुशंसा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन की ओर से उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28-2-2003 तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या कभी भी संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

उक्त विधि अधिकारियों को इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक डी-103/1/छ.ग./2000. दिनांक 22-11-2000/1-12-2000 के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा :—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अशोक वर्मा	उप-महाधिवक्ता
2.	श्री संजय अग्रवाल	उप-महाधिवक्ता
3.	श्री दीप केशरवानी	शासकीय अधिवक्ता
4.	श्री पी. शाम कौशी	शासकीय अधिवक्ता
5.	कु. शर्मिला सिंघई	उप-शासकीय अधिवक्ता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

भू-अर्जन प्रक. क्रमांक 02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	गुनापुर	39.43	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन विभाग लोरमी, भरतसागर जलाशय का बांध पार एवं डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

भू-अर्जन प्रक. क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	परसवारा	39.99	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन विभाग लोरमी, भरतसागर जलाशय का बांध पार एवं डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

भू-अर्जन प्रक. क्रमांक 04/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	ढोलगी	12.95	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन विभाग लोरमी, भरतसागर जलाशय का बांध पार एवं डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. /20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कुन्नी	4.301	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर.	तुरगा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002/3607.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	गोपालपुर	4.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गोपालपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	मयाली	63.794	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बलजोरा जलाशय योजना का डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खड़सा	16.968	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बलजोरा जलाशय योजना के मुख्य बांध तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खड़सा	1.599	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बलजोरा जलाशय योजना के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लोन) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984(क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खड़सा	0.886	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बलजोरा जलाशय योजना के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	कोटिया	0.352	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवर डोड़की व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्रमांक 227 से 238.5 तक.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	तपकरा	2.705	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्रमांक 13 से 69 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	साजबहार	0.820	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्रमांक 90 से 121 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	बाम्हनमारा	1.743	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्रमांक 121 से 179 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	अंकिरा	1.396	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	अंकिरा जलाशय योजना के चैन क्रमांक 0 से 60 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	केराडिह	4.066	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	तुम्बाजोर बायीं नहर चैन क्र. 103.20 से 165.50 तथा चैन क्र. 191 से 202 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	डूमरटोली	7.283	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	तुम्बाजोर बायीं नहर चैन क्र. 0 से 103.20 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	बोतनीडांड़	1.239	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	तुम्बाजोर व्यपवर्तन योजना के बोतनीडांड़ माइनर चैन क्र. 0 से 59 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	केराडिह	0.371	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब नहर विस्तार योजना के केराडिह शाखा नहर चैन क्र. 0 से 18 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खरवाटोली	2.905	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब नहर विस्तार योजना चैन क्रमांक 461 से 502 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	लोधमा	0.770	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब विस्तार योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 59.5 से 605 तक की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	घूईटांगर	0.777	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब नहर विस्तार योजना के चैन क्र. 576 से 590 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	नवापारा	1.174	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब नहर विस्तार योजना के बर्नाडिपा शाखा नहर चैन क्र. 0 से 30 तक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/जशपुर/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खरवाटोली	1.031	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	ईब नहर विस्तार योजना के खरवाटोली माइनर चैन क्र. 0 से 27 तक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

क्र. 29/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	नीमगांव	3.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.)	नीमगांव तालाब योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2002

क्र. 44/अ- 82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	रातामाटी	3.459	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर नगर (छ.ग.).	नीमगांव तालाब योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/90-91.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अंबिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-जगदीशपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.927 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/1	0.046
126	0.085
127	0.008
139/1	0.057
139/2	
880	0.065
124/2	0.047
120	0.012
134	0.032
138	0.069
239, 892/2	0.251
125	0.012
135	0.040

(1)	(2)
136	0.053
140	0.081
880/3	0.069
योग	0.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है —बांकी परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक भू-अर्जन/5/अ-82/97-98/2001/3608.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-जटगा, घुमानीडांड, करगामार, पचरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.62 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
ग्राम-जटगा	
390/1	0.19
297/2	0.13
297/4	0.11
297/5	0.09
297/6	0.05
193/5	0.07
290/6	0.08
208/2	0.02
289	0.05
290/2	0.02
208/1	0.14
206/2	0.04
205	0.08
123/2	0.05
202	0.16
198/1	0.35
200/1	0.06
86/3	0.04
124	0.06
125	0.19
122	0.36
86/13	0.11
86/9	0.12
87	0.09
88	0.06
90	0.03
89	0.09
91	0.03
93	0.12
188/1	0.14
192	0.08
193/1	0.28
193/2	0.03
193/7	0.01
196/2	0.11
196/1	0.20
197	0.09
200/3	0.09
126/2	0.09
126/1	0.12
127/1	0.07
128/2	0.05
128/1	0.05

(1)	(2)
120/1	0.11
111/1 च	0.11
111/2 ग	0.05
111/2 ग	0.23
119/2	0.18
111/1 थ	0.20
92	0.12
111/1 ठ	0.07
111/1 घ	0.27
योग	5.74

ग्राम-घुमानीडांड

(1)	(2)
69	0.28
68	0.56
44, 70	0.24
71	0.80
72/1	0.19
74/2	0.08
72/3	0.19
73/2	0.03
131	0.24
81	0.41
64, 65, 66	0.50
83	0.22
75/2	0.18
85	0.50
123	0.10
योग	4.52

ग्राम-करगामार

(1)	(2)
28/1	0.31
61	0.06
95	0.46
62	0.48
66	0.02
28/2	0.21
67	0.01
70	0.36
68	0.02
45/2	0.04
71	0.02
32/1	0.03
35/2	0.46
29/1	0.09
73	0.04
7	0.13
10/1 घ	0.35
27	0.03
योग	3.12

ग्राम-पचरा

(1)	(2)
13/1	0.21
13/2	0.24
138	0.15
134	0.06
108/1	0.72
126/1	0.11
144/1	0.11
139	0.13
131	0.04
142	0.10
136	0.20
135	0.08
130	0.15
129	0.03
128	0.06
127	0.23
121	0.15
125, 126/2	0.30
123	0.17
योग	3.24
महायोग	16.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जटगा, सलिहाभाठा मार्ग हेतु सड़क निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/97-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेआमाबाल, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/5	0.049
173/1	0.133
173/5	0.049
384	0.024
385	0.024
386/1	0.057
387	0.020
388/1	0.004
388/2	0.004
389	0.028
390	0.008
योग	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भानपुरी मुण्डागांव मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्तर जिला

जगदलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक 14/ज्ये.लि.-2/12-1/95-2002.— बस्तर जिले में हैजा, जठर आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध के आक्रमण होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों के प्रसार की रोकथाम करना आवश्यक है. अत: मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा, जठर आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम, 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं, ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्तर उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन संपूर्ण बस्तर जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूं.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

3. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, मोटर स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य स्थलों में सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियों, मिष्ठान, मांस, मछलियों, अनाज रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आइस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्ना रस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, सहायक चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगरपालिकाओं के नगरपालिका अधिकारियों को निरीक्षण एवं संघन अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं.

4. जिले के महत्वपूर्ण मोटर स्टैण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

5. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

हस्ता./-
(ऋचा शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/452.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमवाली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत रायपुर जिला का बेहराडीह ब्लाक नम्बर डी-7 का 4600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन (तीस दिन) के पश्चात् हीरा, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस तथा अन्य एलाइड मिनरल्स हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/रिकोनेसेन्स परमिट/खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. खनिपट्टा हेतु वही आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य रहेगा जिस आवेदन-पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र का पूर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जावेगा.

जिला (1)	क्षेत्र का विवरण (2)	क्षेत्रफल (3)	विवरण (4)
रायपुर	बेहराडीह ब्लाक नम्बर डी-7.	4600 वर्ग किलोमीटर	बी. विजय कुमार छत्तीसगढ़ एक्स-प्लोरेशन प्रा. लि. को हवाई सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत क्षेत्र निरस्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

हस्ता./-
(अमिताभ जैन)
कलेक्टर.